न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-234RAAJodhpur2021-118RTA225 Bhagirathram ors Vs Durgaram etc

01. भागीरथराम पुत्र मोतीराम
02. सोनाराम पुत्र भागीरथराम
03. पाबूराम पुत्र भागीरथराम
04. फरसाराम पुत्र भागीरथराम
05. चम्पाराम पुत्र भागीरथराम
06. सुखाराम पुत्र भागीरथराम
07. लालाराम पुत्र भागीरथराम
    अंपीलार्थी संख्या 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता लक्ष्मीदेवी पत्नी भागीरथराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- शिवसागर तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. दुर्गाराम पुत्र भूराराम
2. नरूथाराम पुत्र भूराराम
3. सुगनाराम पुत्र भूराराम
4. तुलछाराम पुत्र भूराराम
5. प्रभुराम पुत्र भूराराम
6. जेठी पत्नी भूराराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- शिवसागर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
7. ग्राम पंचायत नारायणपुरा, पंचायत समिति बाप।
8. श्रीमान् तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2020 दुर्गाराम व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि

उपस्थित-

19.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 19 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2020 दुर्गाराम व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 803/1 रकबा 125 बीघा 13 बिस्वा ग्राम शिवसागर तहसील बाप में आने-जाने हेतु अपीलांट्स /अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 803/2 रकबा 125 बीघा में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक से छः का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक से छः के खातेदारी में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता मौजूद है तथा उक्त रास्त मौके पर चालू है, इस

19.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की खातेदारी भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा आपस में तरमीम नहीं हो रखी है, इसलिए बिना तरमीम के रास्ते के मांग नहीं की जा सकती है तथा मौके पर भी चल रही सड़क का भी राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है, इसलिए मौके पर सड़क चल रही है अथवा नहीं, यह भी विवाद का बिंदु है। अतः प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तथा पटवार हल्का द्वारा तैयार किये जाने के कारण विधिक रूप से मानी जाने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थीगण संख्या एक से छः द्वारा जानबूझकर न्य पड़ौसी खसरान् के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खेत में से रास्ता नजदीक पड़ता है, इसके बावजूद भी मात्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने के पश्चात लॉकडाउन लग जाने के कारण न्यायालय का कार्य बंद हो गया था। माह जुलाई 2021 में लॉकडाउन में छूट दिये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा नकल प्राप्त कर जोधपुर आकर अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत कर दी गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्याय हित में माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2020 दुर्गाराम व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2021 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाप से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसर प्रतिकर राशि अपीलांट्स को अदा किये जाने के निर्देशो के साथ मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये रास्ते में 3.11 बीघा भूमि का रकबा जाता है, जबकि अपीलाधीन रास्ते में मात्र 04 बिस्वा भूमि काम में आती है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते लागू लॉकडाउन के मध्यनजर अपीलांट्स समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाये। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मौका फर्द दिनांक 21.02.2021 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के खातेदारी खसरा नं. 803/3 में आवागमन हेतु खसरा नं. 803/2 में सें रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। विकल्प ए. बी.सी. जिसकी लंबाई 3432 फीट तथा रकबा 3.11 बीघा है तथा विकल्प

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डी.ई जिसकी लंबाई 190 फीट बतायी गई है जो निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है, जिसका रकबा 0.04 बीघा है। विचारण न्यायालय द्वारा विकल्प डी से ई रास्ता प्रदान करते हुए रास्ते में जाने वाली भूमि के लिए नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर राशि अपीलांट/अप्रार्थी को अदा किये जाने के निर्देश दिये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2020 दुर्गाराम व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर